

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPLE
BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO.695/2024

Shayamji Mishra

--- Applicant

Versus

State of U.P. & Ors.

--- Respondents

INDEX

SL.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY ON BEHALF OF DIVISIONAL FOREST OFFICER, OBRA	3 to 10
2.	<u>ANNEXURE-A</u> A COPY OF SECTION 20 GAZETTE NOTIFICATION OF VILLAGE BILLI MARKUNDI	11 to 18
3.	<u>ANNEXURE-B</u> A COPY OF KHATAUNI OF PLOT NO 2327KA OF VILLAGE BILLI MARKUNDI (LAND IN QUESTION) OF OBRA COLONY, UTTAR PRADESH RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LIMITED	19
4.	<u>ANNEXURE-C</u> A COPY OF DETAILED LIST CONTAINING DIAMETER CLASS WISE DESCRIPTION OF TREES	20 to 26
5.	<u>ANNEXURE-D</u> A COPY OF APPLICATION LETTERS OF EXECUTIVE ENGINEER, OBRA 'C' CIVIL CONSTRUCTION DIVISION-I, UPRVUNL REGARDING PERMISSION FOR FELLING OF 4191 TREES LETTER NO.1- 148 / ओ०सी०ज०निखं-१ दिनांक-१०.०५.२०१६ AND LETTER NO.2- २४० / ओ'सी'जा निखं- / वनविभाग दिनांक-२०.१०.२०१६	27 to 28

Date: 13.12.2024


George
Adv.

6.	<u>ANNEXURE-E</u> A COPY OF GOVERNMENT ORDER DT.20.07.2012 UNDER UTTAR PRADESH PROTECTION OF TREES ACT	29
7.	<u>ANNEXURE-F</u> A COPY OF PERMISSION LETTER OF THE THEN DFO, OBRA FOREST DIVISION FOR FELLIG OF 4191 TREES BY OFFICE LETTER NO. 1784/OBRA/37, DATED 25.11.2016	30
8.	<u>ANNEXURE-G</u> A COPY OF APPLICATION LETTERS OF EXECUTIVE ENGINEER, OBRA 'C' CIVIL CONSTRUCTION DIVISION-I, UPRVUNL REGARDING PERMISSION FOR FELLING OF 1156 TREES LETTER NO.1- 452/ओ'सी'जा नि खं- /वनविभाग दिनांक-13.10.2017 AND LETTER NO.2- 15/ओ'सी'जा नि खं- /वनविभाग दिनांक-30.01.2018	31 to 32
9.	<u>ANNEXURE-H</u> A COPY OF GOVERNMENT ORDER DT.25.10.2017 UNDER UTTAR PRADESH PROTECTION OF TREES ACT	33
10.	<u>ANNEXURE-I</u> A COPY OF PERMISSION LETTER OF THE THEN DFO, OBRA FOREST DIVISION FOR FELLIG OF 1156 TREES BY OFFICE LETTER NO.3029/OBRA/37, DATED 05.03.2018	34
11.	<u>ANNEXURE-J</u> A COPY OF LETTER NO.1651/24-1-12-1534/2012, DATED 31.07.2012 REGARDING 2x660 MW OBRA 'C' THERMAL POWER PLANT EXPANSION PROJECT	35

Filed by:

GIGI.C.GEORGE

ADVOCATE

STANDING COUNSEL

STATE OF U.P.

NATIONAL GREEN TRIBUNAL

Email: gigicgeorge.adv42@yahoo.in

M- 981062531

13/12/2024.

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPLE
BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO.695/2024

Shayamji Mishra	---	Applicant
	Versus	
State of U.P. & Ors.	---	Respondents

**REPLY ON BEHALF OF DIVISIONAL FOREST OFFICER, OBRA
FOREST DIVISION, OBRA, STATE OF U.P.**

That the respondent is Divisional Forest Officer, Obra Forest Division, Obra-Sonbhadra District. That the instant original application pertains to complaint of illegal felling of trees for construction of colonies of Obra Power Plant i.e. Obra 'C' Thermal Power Station which lies in Obra Tehseel of District Sonbhadra which comes under the jurisdiction of Obra Forest Division, Obra-Sonbhadra.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH :

1. That in the present Original Application Divisional Forest Officer, Sonbhadra Forest Division, State of U.P. has already filed a reply dt.12.11.24 before this Hon'ble Tribunal which is already on record.
2. That the Hon'ble Tribunal directed in paragraph 5 of the order dated 02.09.2024 that

"xxxxxx.....xxx"

5. From the report we find that neither it has been specified as to whether the land in which trees have been cut is a forest land or not, nor regarding the kind of trees, age and other details of the trees

which were allowed to be cut by Divisional Forest Officer including ownership of land, necessary facts have been disclosed. We are also at a loss to appreciate as to what relevant considerations were considered by Divisional Forest Officer in permitting cutting of trees since that is the requirement under the provisions of UP Protection of Trees Act, 1975. The report therefore is incomplete and does not disclose all the necessary facts."

3. That while considering the reply dt.12.11.24, this Hon'ble Tribunal made following observation " A reply/report dated 12.11.24 has been filed by Divisional Forest Officer, Sonbhadra, but the aspects on which observation made have not been given and no document has been placed on record to show as to what considerations prevailed with the authority concerned while granting permission for cutting trees"
4. That project land in question plot no. 2327ka, of Village Billi Markundi, Obra Tehseel, District Sonbhadra, in which trees were felled, is not a forest land. (This land is not listed in the Section 20 Gazette notification of village Billi Markundi, a copy of which is annexed herewith as **Annexure A**.) The said the land is owned by Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Obra and a certified extract of Khatauni is enclosed herewith as **Annexure B**
5. That it is submitted that according to office records a summary of 4191 and 1156 trees affected as per Marking List prepared at that time for 2X660 Megawatt Obra C expansion project of U.P. govt. is given below. The Detailed List containing diameter class wise description of trees is being annexed herewith **Annexure C**

Summary of 4191 trees:-

Sl.no.	Name of tree	Number of tree affected in sector-5	Number of tree affected in sector-6	Number of tree affected in sector-7	Total Number
1	Aam	436	527	359	1322
2	Neem	163	420	178	761
3	Pipal	48	92	31	171
4	Sahjan	97	162	68	327
5	Liptas	3	39	1	43
6	Amrood	75	64	139	278
7	Gular	23	35	21	79
8	Bargad	2	15	7	24
9	Ber	11	84	15	110
10	Bel	59	93	63	215
11	Kadam	41	6	1	48
12	Semal	1	11	4	16
13	Jamun	48	47	13	108
14	Jangal Jalebi	19	38	9	66
15	Sahtoot	4	7	5	16
16	Kathal	41	21	32	94
17	Imli	1	19	6	26
18	Chilbil	19	14	1	34
19	Sagaun	1	6	2	9
20	Babul	4	91	15	110
21	Badam	1	8	5	14
22	Aawla	7	8	8	23
23	Phool	3	11	14	28
24	Siras	3	30	6	39
25	Gulmohar	3	11	0	14
26	Ashok	14	6	0	20
27	Rabar	1	2	0	3

28	Nimboo	1	1	5	2
29	Harshringar	1	0	0	1
30	Harda	1	1	0	2
31	Sehdua	0	1	0	1
32	Shareefa	0	6	0	6
33	Jigna	0	18	2	20
34	Lichi	0	0	1	1
35	Kanail	0	0	31	31
36	Gudhal	0	0	13	13
37	Ashok	0	0	3	3
38	Kanji	0	0	2	2
39	Papeeta	0	0	7	7
40	Kadi Patta	0	0	2	2
41	Taad	0	0	1	1
42	Sukha Aam	9	8	17	34
43	Sukha Bel	0	0	1	1
44	Sukha Neem	1	9	1	11
45	Sukha Babul	0	3	0	3
46	Sukha Kathal	0	2	0	2
47	Sukha Jamum	0	1	0	1
48	Sukha Liptas	0	1	0	1
49	Paras	1	0	0	1
50	Sharifa	0	0	42	42
Total		1142	1918	1131	4191

Summary of 1156 trees:-

Sl.no.	Name of Tree	Number of tree affected in sector-2, 3 & 4
1	Aam	397
2	Neem	151
3	Pipal	29
4	Bel	67

5	Kathal	50
6	Amrood	15
7	Gular	33
8	Babul	125
9	Jamun	30
10	Chilbil	15
11	Liptas	16
12	Aawla	7
13	Jungle Jalebi	31
14	Imli	8
15	Sagaun	2
16	Ber	62
17	Kadam	13
18	Sahtoot	5
19	Jigna	1
20	Sisam	3
21	Siras	76
22	Ashok	7
23	Semar	10
24	Paras	3
	Total	1156

6. That it is submitted that Executive Engineer, Obra 'C' Civil Construction Division-I, UPRVUNL (A U.P. Govt. Undertaking) through his letter no. 148/ओ'सी'जा.नि.खं-1, dated 10.05.2016 and letter no. 240/ओ'सी'जा.नि.खं-1/वनविभाग, dated 20.10.2016 requested for permission of felling of 4191 trees in Sector 5, 6 and 7 of Obra Colony under **2X660 Megawatt Obra C expansion project of U.P. govt.** while informing that environmental clearance has been granted by MoEFCC for the **2X660 Megawatt Obra C expansion project of U.P. govt.** and demolition of building etc is in progress. **Annexure D.**

The Government Order No. 611/14-5-2012-07/93 dated 20.07.2012 (Annexure E) under Uttar Pradesh Protection of Trees Act 1976 effective during that time has the following provisions:

“The trees of following species shall not be felled till December 31, 2020 unless any of the trees is dead or dying or it constitutes danger to person or property or its felling is necessary for executing a development work approved by the Government

The then DFO through his letter no. 1784/Obra/37, Dated 25.11.2016 after due consideration and verification issued permission for felling of 4191 trees under the Uttar Pradesh Protection of Trees Act for the said purpose. **Annexure F**

7. That it is submitted that Executive Engineer, Obra 'C' Civil Construction Division-I, UPRVUNL (A U.P. Govt. Undertaking) through his letter no. 452/ओ'सी'जा.नि.खं-1/वनविभाग, dated 13.10.2017 and and letter no. 15/ओ'सी'जा.नि.खं-1/वनविभाग, dated 30.01.2018 requested for permission of felling of 1156 trees situated in sector 2,3,4 for construction of ash dyke, switch yard, 33/11 KV Electric Substation & Koyla Sanchalaya Yantra and Kendriya Bhandar Kshetra B Vidyut Grah under **2X660 Megawatt Obra C expansion project of U.P. govt.** while informing that the demolition of building, store etc is in progress. **Annexure G**

The Government Order No.5/2017/2242/14-5-2017-7/93 dated 25.10.2017 (Annexure H) under Uttar Pradesh Protection of Trees Act 1976 effective during that time has the following provisions:


“The trees of following species shall not be felled till December 31, 2025 unless any of the trees is dead or dying or it constitutes danger to

person or property or its felling is necessary for executing a development work approved by the Government.....”

The then DFO through his letter no. 3029/Obra/37, Dated 05.03.2018 after due consideration and verification issued permission for felling of 1156 trees under the Uttar Pradesh Protection of Trees Act for the said purpose. **Annexure I**

The project in question is government approved as per the document made available by Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited being annexed herewith **Annexure J**

8. Total 15094 nos. of trees have been planted in lieu of 5347 nos. of trees that were felled for 2X660 Megawatt Obra C expansion project of U.P. govt. . The Joint Committee constituted by this Hon’ble Tribunal has also reported the same in their report dated 30.08.2024 submitted to this Hon’ble Tribunal.
9. That it is further submitted that the then DFO, Obra Forest Division, Obra-Sonbhadra has given the permission for felling of trees after following the due process of law.


DIVISIONAL FOREST OFFICER
OBRA FOREST DIVISION,
OBRA-SONBHADRA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPLE BENCH, NEW
DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.695/2024

Shayamji Mishra -- Applicant

Versus

State of U.P.& Ors. -- Respondents

AFFIDAVIT

I Anurag Priyedarshi S/o. Shyam Lal Aged 32 Years working as Divisional Forest Officer Office At Obra Forest Division, Obra-Sonbhadra do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am DFO, Obra Forest Division, Sonbhadra and competent to swear the present affidavit.
2. That the accompanying reply is drafted by my counsel under my instructions and the same is not repeated for brevity.
3. That the content of the application is read over to me in vernacular language and the same is true and correct.

Anurag Priyedarshi
DEPONENT

Verification

Verified at New Delhi on 13 Dec. 2024 that the content of above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief.



ATTESTED
[Signature]
NOTARY PUBLIC
GOVT OF INDIA

Anurag Priyedarshi
DEPONENT

13 DEC 2024

क्रम-संख्या-88 (ख)



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 15 जून, 2020

ज्येष्ठ 25, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 1136/81-2-2020-20(5)/2019

लखनऊ, 15 जून, 2020

अधिसूचना

प०आ०-123

चूँकि भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन सरकारी अधिसूचना संख्या 3723/14-ख-4(67)-69, दिनांक 05-11-1969 और संख्या 6865/14-2-4(11)-70, दिनांक 21-12-1973 द्वारा नीचे अनुसूची 'क' में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था ;

और चूँकि दावों को प्रस्तुत करने के लिये नियत अवधि व्यपगत हो चुकी है ;

और चूँकि ऐसा कोई दावा स्वीकार नहीं किया गया है, किन्तु इसमें उपाबद्ध अनुसूची 'ख' में उल्लिखित सीमा तक, रियायत अनुज्ञात की गयी है, जो राज्य सरकार के प्रसादानुसार वापस ली जा सकती है ;

प्राधिकृत अधिकारी/मा० न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए और सिविल अपील संख्या-12202/2018 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 05 जून, 2020 को पारित आदेश द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा के आधार पर अनुसूची 'क' में उल्लिखित 819.785 हे० भूमि आरक्षित वन होगा ;

अतएव, अब, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) की धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची 'क' में उल्लिखित 819.785 हे० भूमि, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से आरक्षित वन होगा ।

अध्यापति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी

औबरा-रैंज

जाबरा वन प्रभाग, औबरा

अनुसूची 'क'						
जिला	तहसील	परगना	ग्राम	वन ब्लाक	गाटा संख्या	क्षेत्रफल(हे० में)
सोनभद्र	रावर्टसगंज	अगोरी	बिल्ली मारकुण्डी	1	293क	0.759
				1	318ख	0.367
				1	330	0.658
				1	329	0.493
				2	58ख	0.025
				2	59ख	0.114
				3	66ज	0.228
				4	1	126.655
				4	78	0.038
				4	79	0.063
				4	80क	0.177
				4	84ग	0.177
				4	2328ख	2.188
				5	629	0.835
				5	630	0.632
				5	631ख	0.139
				6	466	0.645
				6	469ग	0.177
				7	1719ख	1.075
				8	2008ग	0.379
				9	2110क	0.316
				9	2111क	0.266
				9	2112क	0.063
				10	259	4.363
				10	342क	0.974
				10	361	0.443
				10	372	0.658
				10	387	0.291
				10	388	0.486
				10	389ग	1.454
				10	390	0.038
				10	393क	0.759
				10	416क	1.112
				10	5752क	0.152
10	5753क	0.228				
10	5754	0.721				
10	5757ग	0.443				
10	5764	0.228				
10	5765ख	0.177				
10	5790क	0.354				
10	5793क	0.203				
10	5795	0.063				
10	5796	0.013				
10	5797क	0.152				
10	5798	0.031				

छायाप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा-रेंज
आबरा वन प्रभाग, ओबरा

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	वन ब्लाक	गाटा संख्या	क्षेत्रफल(हे० में)
सोनभद्र	रावर्टसगंज	अगोरी	बिल्ली मारकुण्डी	10	5800	0.481
				10	5801	1.201
				10	5802ख	0.126
				10	5820क	63.321
				10	5593झ	13.809
				10	5794	0.031
				11	2745ख	0.025
				11	2753ख	1.013
				12	2736	2.289
				12	2738ग	1.429
				12	2742घ	0.974
				13	2675	1.442
				14	2656क	2.087
				14	2657	7.019
				15	2354ख	49.574
				15	2355	0.253
				15	2356	0.126
				15	2357	0.202
				15	2358	3.250
				15	2359ख	0.063
				15	2361	0.405
				15	2364	0.051
				15	2365	0.044
				15	2366	0.031
				15	2371	0.152
				15	2372ख	0.126
				15	2373	0.240
				15	2374क	3.857
				15	2375	0.025
				15	2376ख	0.152
				15	2378क	4.174
				15	2379	0.645
15	2381	0.063				
15	2382	0.114				
15	2333छ	0.620				
16	2495	1.303				
17	2409ग	0.405				
17	2391क	0.063				
18	2688	0.228				
19	2108	0.101				
20	3658ख	0.050				
21	2886	0.190				
22	2750	0.038				
23	3050छ	5.058				
23	3059ख	0.379				
24	2839ड	0.347				
25	3018ख	0.367				

छायाप्रति प्रमाणित
 केन्द्रीय वन अधिकारी
 ओबरा-रेंज
 ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

जिला	तहसील	परगना	350 वन ब्लाक	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० म०)	
सोनभद्र	रावर्टसगंज	अगोरी	बिल्ली मारकुण्डी	25	3044ख	0.620
				26	4372ख	0.759
				27	4448क	0.379
				28	4895मि०	1.366
				28	4898क	0.063
				28	4898मि०	0.038
				29	5018	0.013
				30	5024	0.582
				31 व 78	6229घ	60.387
				32	5021	0.126
				33	5070	0.569
				33	5116	2.086
				34	5163	0.019
				35	5269	0.304
				36	5419	0.341
				37	5504	0.019
				37	5505	0.069
				37	5511ज	1.644
				37	5511 मि०	0.948
				37	5524	0.291
				37	5525	0.164
				38 व 87	4471ग	6.171
				38 व 87	4465	0.481
				38 व 87	4467	0.215
				38 व 87	4473क	0.025
				38 व 87	8015/4465	0.354
				39	5587	0.126
				39	5586 मि०	1.138
				39	5586क	0.607
				39	5588	0.341
				39	5606	0.266
				39	5607	1.037
				39	5626ख	0.468
				39	5627	0.215
				39	5628	0.215
				39	5629	0.031
				39	5630	1.947
				39	5631	0.531
				39	5706क	0.089
				39	5707ख	0.064
				39	5708	0.278
				39	5709	0.114
				39	5710	0.114
				39	5711	0.101
				39	5714	1.833
				40	5592	0.228

अध्यापति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
औबरा-रैंज
जाबरा वन प्रभाग, औबरा

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	वन ब्लाक	गाटा संख्या	क्षेत्रफल(हे० में)
सोनभद्र	रावर्टसगंज	अगोरी	बिल्ली मारकुण्डी	41	5604	0.051
				42	5620	0.013
				43	5623	1.037
				43	5624घ	0.392
				43	5780	0.152
				44	5782क	0.190
				44	5784	0.019
				45	5772	0.202
				45	5787ग	4.464
				45	5787मि०	2.049
				45	5813	0.063
				45	5814	0.051
				46	5811	0.126
				47	5730ख	0.126
				47	5732क	0.961
				47	5746ख	0.076
				47	5748	0.506
				47	5751ख	0.190
				48	5771ग	0.126
				49	5734	0.114
				50	5740	0.051
				51	5724क	0.126
				51	5725	0.101
				51	5726	0.329
				51	5727	0.031
				52	5590	0.190
				53	5875क/2	0.582
				54	5889	0.733
				54	5890	0.519
				54	5891	0.847
				54	5893	0.013
				54	5898	0.006
				54	5899	0.013
				54	5924	0.354
				54	5926	0.013
				55	5991	0.076
				55	5992	0.139
				55	5993	0.493
				55	5994	0.089
				55	6210 मि०	0.254
55	6210ख	1.024				
55	6211 मि०	0.126				
55	6211ख	0.355				
55	6212	0.152				
55	6213	0.733				
55	6214क	0.190				
55	6214ख	0.771				

छायाप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा-रेंज
आबरा वन प्रभाग, ओबरा

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	वन ब्लाक	गाटा संख्या	क्षेत्रफल(हे० में)
सोनभद्र	रावर्टसगंज	अगोरी	बिल्ली मारकुण्डी	55	6215	2.377
				56	5825	0.038
				57	6221मि०	38.192
				57	6221ख	1.518
				57	5821क	29.946
				57	5822	0.177
				57	5870क	1.580
				57	5870ख	0.177
				58	6010	0.708
				58	6013	0.038
				58	6014	0.051
				58	6024	0.057
				59	6102	0.126
				60	6134	0.025
				60	6136	0.278
				61	6129ख	1.517
				62	6948	0.228
				62	6949क	1.770
				62	6952	5.375
				63	6116 क	0.759
				63	6197	0.051
				63	6198क	0.658
				63	6199	0.107
				63	6200	0.126
				63	6202	2.883
				63	6203	4.173
				63	6205	0.038
				63	6208	0.190
				63	6201	22.805
				64	6262ख	12.077
				64	6263क	0.392
				64	6264ख	3.806
				64	6265	0.506
				64	6266	0.076
				64	6268ख	1.354
				64	6275क	0.947
				64	6273क	2.112
				64	6351क	0.683
				64	6338	0.063
				64	6339क	0.455
64	6339 मि०	2.820				
64	6352	0.519				
64	6355क	1.468				
64	6422	0.164				
65	6301ग	0.278				
66	6363	0.057				
67	6238	0.873				

छायाप्रति प्रमाणित
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 ओबरा-रेंज
 ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	353 न ब्लाक	गाटा संख्या	क्षेत्रफल(हे० में)
सोनभद्र	रावर्टसगंज	अगोरी	बिल्ली मारकुण्डी	68	7004क	0.367
				69	7699	0.658
				70	7712	1.012
				70	7731	1.163
				70	8004क	0.253
				71	2780ख	0.126
				71	2780 मि०	0.506
				71	7974क	0.240
				72	7910घ	0.279
				73	7985ग	0.240
				73	7989	1.012
				74	7108	0.013
				74	7113	0.057
				74	7117	0.304
				74	7122क	1.303
				74	7123	0.164
				74	7124	0.076
				74	7144	0.051
				74	7145	0.019
				74	7146क	0.139
				74	7147	0.013
				75	6857क	29.998
				75	7089	2.086
				75	7101	0.443
				75	7106क	65.459
				75	6859ख	1.329
				75	7109	0.139
				75	6860	0.190
				75	7225ख	2.125
				75	6825	0.316
				75	6865	0.031
				75	6866	1.581
				75	6867	0.063
				75	6868क	2.086
				75	6882	0.126
				75	6883	0.063
				75	7087	0.139
				75	7095क	0.455
				75	7045	0.550
				75	7075	0.038
75	7076क	0.025				
75	7079	0.379				
75	7081	2.655				
76	7060	0.272				
77	7236क	0.076				
79	2334ग मि०	13.823				
79	2335	0.044				
80	6250 मि०	3.654				
80	6250ग	1.075				
80	6249क	0.076				
80	6251	0.013				

छायाप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा-रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	वन ब्लाक	गाटा संख्या	क्षेत्रफल(हे० में)
सोनभद्र	रावर्दसगंज	अगोरी	बिल्ली मारकुण्डी			
				80	6252	0.019
				80	6256क	1.706
				80	6257ख	0.227
				81	2072क	0.658
				82	1214मि०	1.126
				82	1214 मि०	0.177
				83	2327ख	1.265
				84	7407ख	3.946
				84	7442क	2.023
				84	7443	0.240
				85	7536घ	60.122
				85	7569ख	2.971
				86	3048घी	0.506
					31 व 87	4478क
	87	4477ग	1.011			
	88	4495 मि०	1.544			
		योग-	819.785			

आया प्रति प्रमाणित
 क्षेत्रीय बन् अधिकारी
 ओबरा-रेंज
 आबरा वन प्रभाग, ओबरा

अभ्युक्ति - सिविल अपील संख्या-12202/2018 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय को अवगत करायी गई लगभग 223 हे० भूमि, जिसके सम्बन्ध में विभिन्न मा० न्यायालयों में वाद लम्बित हैं, सम्बन्धित मा० न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के अधधीन होगी। उपरिलिखित लगभग 223 हे० भूमि से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम बिल्ली मारकुण्डी में अपर जिला जज के न्यायालय में लम्बित वादों का विवरण

क्र०सं०	अपील संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे०में)
1	2	3	4
1	एम०ए० नं० 02/2019	6251	0.253
		6249 क मि०	0.076
		6252	0.019
		6256 क मि०	1.012
2	एम०ए० नं० 08/2019	7910 घ	0.279
3	एम०ए० नं० 11/2019	4372 ख	0.316
4	एम०ए० नं० 12/2019	388	0.486
5	एम०ए० नं० 16/2019	2334	1.796
6	एम०ए० नं० 20/2019	4898 क	0.063
7	एम०ए० नं० 21/2019	4895 मि०	1.265
8	एम०ए० नं० 23/2019	5875क/2	0.582
9	एम०ए० नं० 24/2019	7536घ मि०	2.151
10	एम०ए० नं० 26/2019	6355क	1.468
11	एम०ए० नं० 30/2019	5821 क मि०	0.149
12	एम०ए० नं० 33/2019	4448 क	0.380
13	एम०ए० नं० 35/2019	7536 मि०	2.024



BHULEKH
Uttar Pradesh

355
Annexure-B

Annex-B

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)				
ग्राम का नाम : बिल्ली मारुणडी	परामा : अगोरी	तहसील : ओबरा	जनपद : सोनभद्र	खता संख्या : 04368
खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो।				
ओबरा कालोनी उत्तरप्रदेश राज्य // नि. ग्राम विद्युत परिषद उत्पादन निगम // नि. ग्राम लिमिटेड ओबरा // नि. ग्राम	2086ग 2097क. 2099क 2100 2101ग 2102 2103ख 2104 2106 2109ख 2111ख 2112ग 2113ख 2114 2115ख 2139ख 2327क 2330ग 2330कै 2331ग 3059ग 3886 3888 4483क 4484क 4722ख	0.2690 0.0630 1.1370 0.0510 0.1910 0.0510 0.3410 0.7840 0.7590 0.0630 1.1000 0.2020 0.2400 0.2780 0.0630 0.0890 376.2990 22.8360 50.7660 2.5890 0.4170 0.0250 0.0130 0.6580 1.8710 0.1260	मु.संख्या टी 201816660102108 सन 2018 अंधारा 35 उपग्राम संहिता 2006 तहसीलदार रांगुल सोनभद्र तहसील 23-05-18 ग्राम बिल्ली मारुणडी पर. अगोरी तहसील रांगुल जनपद सोनभद्र फसली 1422 से 1427 फसली के खाता संख्या 4122 के आखी नं. 2330 मपि रकबा 05 बीघा 15 विशवा व लगान परता खाता से विक्रेता ओबरा कालोनी उग्र. राज्य विद्युत परिषद उत्पादन निगम लि. ओबरा का नाम निरस्त करके नैनामा के आधार पर क्रेता उग्र. राज्य सडक परिवहन निगम सोनभद्र का नाम बतौर उसी श्रेणी में अंकित हो। हं.कां. 24-05-18	
योग	26	461.2810		

प्रमाणित प्रमाणित
श्रेणीय वि. अधिकारी
ओबरा-रेंज
आबरा वन प्रभाग, ओबरा

Disclaimer: उत्तर अंकित मात्र अवलोकनार्थ है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एम सी.एस.पी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।
Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



Annexure-C

ओबरा तापीय परियोजना के आवासीय परिसर के सेक्टर 5,6 एवं 7 की भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन सह नीलामी से विक्रय कार्य कराने के सम्बन्ध में वृक्षों का मूल्यांकन

SECTOR-5

क्र० सं०	प्रजाति का नाम	0-10		11-20		21-30		31-40		41-50		50-60		60-70		धनराशि	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	आम	1	14.00	40	2800.00	79	2198.00	113	96050.00	96	210080.00	43	179596.00	64	356266.00	436	847004.00
2	नीम	0	0.00	14	396.00	46	5750.00	55	11458.00	24	10000.00	15	10000.00	9	10020.00	163	47624.00
3	पीपल	0	0.00	3	85.00	6	750.00	7	1450.00	2	833.00	2	1333.00	28	31153.00	48	35604.00
4	सहजन	0	0.00	1	7.00	17	481.00	22	4583.00	25	40416.00	18	16666.00	14	15586.00	97	77739.00
5	लिट्स	0	0.00	2	420.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	8350.00	3	8770.00
6	अमरुद	1	7.00	36	1020.00	31	3875.00	7	1458.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	75	6360.00
7	गुलर	0	0.00	2	56.00	6	750.00	6	1250.00	6	2500.00	2	1334.00	1	1115.00	23	7005.00
8	बरगद	0	0.00	1	28.00	0	0.00	0	0.00	1	416.00	0	0.00	0	0.00	2	444.00
9	बैर	0	0.00	2	56.00	7	875.00	2	416.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	1347.00
10	बेल	0	0.00	6	255.00	25	3125.00	15	3125.00	11	4583.00	2	1333.00	0	0.00	59	12421.00
11	कदम	0	0.00	4	113.00	10	1250.00	5	1041.00	5	2833.00	8	5333.00	9	10020.00	41	20590.00
12	सेमल	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1933.00	0	0.00	1	1933.00
13	जामुन	0	0.00	5	350.00	7	1948.00	15	12600.00	9	19770.00	8	34413.00	4	22266.00	48	91347.00
14	जंगल जलेबी	0	0.00	1	28.00	4	500.00	8	1666.00	3	1250.00	3	1250.00	0	0.00	19	4694.00
15	शहतुत	0	0.00	1	28.00	2	250.00	1	308.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	586.00
16	कटहल	0	0.00	2	56.00	9	1125.00	10	2083.00	9	3750.00	5	3333.00	6	6680.00	41	17027.00
17	इमली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	416.00	0	0.00	0	0.00	1	416.00
18	चिलबिल	0	0.00	2	170.00	10	2073.00	5	3333.00	1	945.00	0	0.00	1	2506.00	19	9027.00
19	सागौन	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7500.00	0	0.00	0	0.00	1	7500.00
20	बबूल	0	0.00	1	28.00	2	250.00	1	208.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	486.00
21	बादाम	0	0.00	1	28.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	28.00
22	औवला	0	0.00	0	0.00	2	250.00	3	625.00	1	416.00	1	666.00	0	0.00	7	1957.00

छायाप्रति प्रमाणित

11/11/20

देशीय वन अधिकारी
ओबरा-रेल
आवरा वन प्रभाग, ओबरा

क्र० स०	प्रजाति का नाम	0-10		11-20		21-30		31-40		41-50		50-60		60-70		धनराशि	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	फूल	1	0.00	0	0.00	1	125.00	1	208.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	333.00
24	सिरिस	0	0.00	1	28.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1332.00	0	0.00	3	1360.00
25	गुलमोहर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1332.00	1	1113.00	3	2445.00
26	अशोक	0	0.00	11	311.00	0	0.00	0	0.00	1	416.00	1	666.00	1	1113.00	14	2506.00
27	रबड़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	416.00	0	0.00	0	0.00	1	416.00
28	नींबू	0	0.00	0	0.00	1	125.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	125.00
29	हरशृंगार	0	0.00	0	0.00	1	125.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	125.00
30	हरदा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	208.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	208.00
31	सूखा आम	0	0.00	0	0.00	2	1670.00	5	3131.00	2	3375.00	0	0.00	0	0.00	9	8176.00
32	सूखा नीम	0	0.00	0	0.00	1	281.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	281.00
33	परास	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	208.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	208.00
	योग-	3	21.00	136	6263.00	269	27776.00	283	145409.00	199	309915.00	113	260520.00	139	466188.00	1142	1216992.00

17/11/17
क्षेत्रीय वन्याधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी

17/11/17

प्रभागीय विकिस प्रबन्धक

17/11/17

अबल अभियन्ता

17/11/17

अधिशाली अभियन्ता

17/11/17

डाला रेंज

चोपन

वन निगम डुब्डी

आबरा तापीय परियोजना

आबरा तापीय परियोजना

घायाप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन्याधिकारी

आबरा-रेंज

आबरा वन प्रभाग, आबरा

ओबरा तापीय परियोजना के आवासीय परिसर के सेक्टर 5,6 एवं 7 की भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन सह नीलामी से विक्रय कार्य कराने के सम्बन्ध में वृक्षों का मूल्यांकन

SECTOR-6

क्र० सं०	प्रजाति का नाम	0-10		11-20		21-30		31-40		41-50		50-60		60-70		धनराशि	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	आम	1	42.00	26	1820.00	85	23658.00	134	168840.00	121	265796.00	81	388310.00	79	439766.00	527	1238232.00
2	नीम	2	14.00	48	1360.00	113	14125.00	133	27708.00	75	31250.00	32	21333.00	17	18926.00	420	114716.00
3	पीपल	0	0.00	2	56.00	4	500.00	2	416.00	7	2116.00	6	6000.00	71	79046.00	92	88134.00
4	सहजन	0	0.00	8	226.00	16	2000.00	46	9583.00	45	18750.00	22	14666.00	25	27833.00	162	73058.00
5	लिट्स	0	0.00	0	0.00	2	833.00	1	666.00	6	6680.00	8	15600.00	22	61233.00	39	85012.00
6	अमरुद	3	21.00	39	1105.00	19	2375.00	2	416.00	1	416.00	0	0.00	0	0.00	64	4333.00
7	गुलर	0	0.00	4	113.00	12	1500.00	5	1041.00	5	2083.00	0	0.00	9	6000.00	35	10737.00
8	बरगद	0	0.00	1	28.00	2	250.00	2	416.00	1	416.00	6	4000.00	3	3340.00	15	8450.00
9	बैर	0	0.00	24	680.00	37	4625.00	19	3958.00	1	416.00	2	1333.00	1	1433.00	84	12445.00
10	बेल	0	0.00	23	651.00	31	3875.00	20	4166.00	19	7916.00	0	0.00	0	0.00	93	16608.00
11	कदम	0	0.00	1	28.00	0	0.00	2	416.00	1	416.00	2	1389.00	0	0.00	6	2199.00
12	सेमल	0	0.00	0	0.00	3	218.00	2	1339.00	3	4100.00	0	0.00	3	7520.00	11	13177.00
13	जामुन	0	0.00	4	280.00	10	2783.00	10	8400.00	13	28556.00	1	416.00	9	50100.00	47	94235.00
14	जंगल जलेबी	0	0.00	5	141.00	9	1125.00	10	2083.00	11	4583.00	2	1333.00	1	1113.00	38	10378.00
15	शहतुत	0	0.00	3	85.00	4	500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	585.00
16	कटहल	0	0.00	1	28.00	2	250.00	7	1458.00	8	5333.00	0	0.00	3	3340.00	21	10409.00
17	इमली	0	0.00	6	170.00	4	500.00	2	416.00	5	1280.00	2	1333.00	0	0.00	19	3699.00
18	चिलबिल	1	14.00	3	256.00	7	1446.00	1	666.00	1	1366.00	1	1933.00	0	0.00	14	5681.00
19	सागौन	0	0.00	2	380.00	4	1349.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	1729.00
20	बबूल	5	35.00	44	1246.00	22	4583.00	19	7916.00	1	666.00	0	0.00	0	0.00	91	14446.00
21	बादाम	0	0.00	2	56.00	1	125.00	2	416.00	1	416.00	2	1333.00	0	0.00	8	2346.00
22	ओबला	0	0.00	1	28.00	2	250.00	4	832.00	1	416.00	0	0.00	0	0.00	8	1526.00

धाराप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी

ओबरा-रेंज

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

क्र.सं.	प्रजाति का नाम	0-10		11-20		21-30		31-40		41-50		50-60		60-70		70-80	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	पूल	10	0.00	1	28.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	28.00
24	सिरिस	3	21.00	13	364.00	4	500.00	6	1250.00	3	1248.00	0	0.00	1	1113.00	30	4496.00
25	गुलगाहर	0	0.00	2	56.00	2	250.00	1	208.00	4	1666.00	2	1333.00	0	0.00	11	3513.00
26	अशोक	0	0.00	0	0.00	2	250.00	0	0.00	1	416.00	1	667.00	2	2226.00	6	3559.00
27	रवड़	0	0.00	0	0.00	2	250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	250.00
28	नीवू	0	0.00	1	28.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	28.00
29	सेहदुआ	0	0.00	0	0.00	1	125.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	125.00
30	हरदा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	208.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	208.00
31	रीफा	2	14.00	4	112.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	126.00
32	जिंगना	0	0.00	6	190.00	5	625.00	1	208.00	4	1666.00	0	0.00	2	2226.00	18	4915.00
33	सूखा आम	0	0.00	0	0.00	1	626.00	2	3780.00	3	14827.00	0	0.00	2	25050.00	8	44283.00
34	सूखा नीम	0	0.00	0	0.00	1	93.00	3	468.00	2	625.00	2	1000.00	1	835.00	9	3021.00
35	सूखा बबूल	0	0.00	1	21.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1670.00	3	1691.00
36	सूखा कटहल	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1670.00	2	1670.00
37	सूखा जामुन	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	637.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	637.00
38	सूखा लिप्टस	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	835.00	0	0.00	0	0.00	1	835.00
	योग-	27	161.00	275	9536.00	407	69589.00	438	247911.00	344	40254.00	172	415629.00	255	734440.00	1918	1881539.00

क्षेत्रीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी

डाला रेंज

चोपन

प्रभागीय वित्त प्रबन्धक

वन निगम कुर्सी

छायाप्रति सम्पादन अधिकारी

ओबरा तामीय परियोजना

अधिशारी अभियन्ता

ओबरा तामीय परियोजना

क्षेत्रीय वन अधिकारी

ओबरा-रेंज

आबरा वन प्रभाग, ओबरा

ओबरा तापीय परियोजना के आवासीय परिसर के सेक्टर 5,6 एवं 7 की भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन सह नीलामी से विक्रय कार्य कराने के सम्बन्ध में वृक्षों का मूल्यांकन

SECTOR-7

क्र० सं०	प्रजाति का नाम	0-10		11-20		21-30		31-40		41-50		50-60		60-70		धनराशि	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	आम	2	28.00	26	1820.00	56	15586.00	80	68000.00	80	32950.00	55	229716.00	60	334000.00	359	682100.00
2	नीम	0	0.00	12	340.00	46	5750.00	59	12291.00	40	16666.00	13	8866.00	8	8906.00	178	52819.00
3	पीपल	1	7.00	3	85.00	3	375.00	0	0.00	2	833.00	0	0.00	22	24493.00	31	25793.00
4	सहजन	0	0.00	7	198.00	3	375.00	20	4166.00	17	7083.00	15	10900.00	6	6680.00	68	28502.00
5	लिटस	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	666.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	666.00
6	अमरूद	8	56.00	69	1955.00	49	6125.00	7	1458.00	4	1664.00	1	666.00	1	1113.00	139	13037.00
7	गुलर	1	7.00	9	252.00	4	500.00	3	625.00	1	416.00	1	666.00	2	2226.00	21	4692.00
8	बर्गद	0	0.00	2	56.00	2	250.00	0	0.00	1	416.00	1	666.00	1	1113.00	7	2501.00
9	बैर	0	0.00	4	112.00	6	750.00	5	1041.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	1903.00
10	बेल	0	0.00	7	196.00	13	1625.00	26	5416.00	11	4583.00	5	3333.00	1	1113.00	63	16266.00
11	कदम	0	0.00	1	28.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	28.00
12	सेमल	0	0.00	0	0.00	2	413.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	5000.00	4	5413.00
13	जामुन	0	0.00	1	70.00	1	278.00	2	1680.00	3	6590.00	3	12530.00	3	16700.00	13	37848.00
14	जंगल जलेबी	0	0.00	4	112.00	1	125.00	0	0.00	3	2000.00	1	1113.00	0	0.00	9	3350.00
15	शहजुत	0	0.00	2	56.00	2	250.00	1	840.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1146.00
16	कटहल	0	0.00	3	85.00	6	750.00	8	1666.00	9	3750.00	3	2000.00	3	3340.00	32	11591.00
17	इमली	0	0.00	1	28.00	1	125.00	3	625.00	1	416.00	0	0.00	0	0.00	6	1194.00
18	चिलबिल	0	14.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	945.00	0	0.00	0	0.00	1	959.00
19	सागौन	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	674.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	674.00
20	बबूल	6	42.00	8	226.00	1	125.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	393.00
21	बादाम	1	7.00	1	28.00	3	375.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	410.00
22	आँवला	2	14.00	2	56.00	2	250.00	2	416.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	736.00

छायाप्रति प्रमाणित

20/02/2020

क्षेत्रीय वन अधिकारी

ओबरा-रेज

आबरा वन प्रभाग, ओबरा

क्र० श्री०	प्रजाति का नाम	0 10		11 20		21 30		31 40		41 50		50 60		60 70		धनराशि	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	फूल	3	21.00	9	255.00	1	125.00	1	208.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	609.00
24	सिरिस	0	0.00	1	28.00	0	0.00	1	208.00	3	1250.00	1	666.00	0	0.00	6	2152.00
25	लीची	0	0.00	0	0.00	1	125.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	125.00
26	कनैल	2	14.00	14	396.00	14	1750.00	1	208.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	31	2368.00
27	गुड़हल	1	7.00	11	311.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	666.00	0	0.00	13	984.00
28	अशोक	0	0.00	0	0.00	1	125.00	2	216.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	341.00
29	कंजी	0	0.00	0	0.00	2	250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	250.00
30	पपीता	0	0.00	0	0.00	5	0.00	0	0.00	2	0.00	0	0.00	0	0.00	7	0.00
31	नींबू	4	28.00	1	28.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	56.00
32	जिगना	0	0.00	1	28.00	1	125.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	153.00
33	कड़ी पत्ता	0	0.00	2	56.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	56.00
34	ताड़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00
35	सूखा आम	0	0.00	2	105.00	3	626.00	2	1275.00	4	8786.00	3	9397.00	3	12525.00	17	32714.00
36	सूखा बेल	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	156.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	156.00
37	सूखा नीम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	156.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	156.00
38	सूखा आंवला	1	7.00	0	0.00	1	93.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	156.00
39	शरीफा	9	63.00	22	633.00	7	875.00	2	250.00	2	833.00	0	0.00	0	0.00	42	2654.00
	योग	41	315.00	225	7543.00	237	38121.00	230	102241.00	184	89181.00	193	280285.00	113	417209.00	1131	934795.00

क्षेत्रीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी

17/3/17

प्रभागीय विकास प्रबन्धक

10/5/17

अधिशासी अभियन्ता

डाला रेंज

चोपन

वन निगम दुई

आयुक्त प्रमाणित

ओबरा तापीय परियोजना

क्षेत्रीय वन अधिकारी

ओबरा-रेंज

आबरा वन प्रभाग, ओबरा

ओबरा राष्ट्रीय परियोजना अन्तर्गत 1156 वृक्षों के पतन सह नीतामी से विक्रय कार्य कराये के सम्बन्ध में वृक्षों का मूल्यांकन

क्र.सं. क्र.	प्रजाति वृक्ष का नाम	0-10		11-20		21-30		31-40		41-50		51-60		61-70		कुल						
		अनाफिट संख्या	धनराशि	अनाफिट संख्या	धनराशि	अनाफिट संख्या	धनराशि	अनाफिट संख्या	धनराशि	अनाफिट संख्या	धनराशि	अनाफिट संख्या	धनराशि	अनाफिट संख्या	धनराशि							
1	आम	0	0	24	1386	81	18609.75	125	86625	82	148605	4	28996	29	99926.8	2	27566	45	206662.5	5	91850	710226.5
2	नीम	0	0	12	693	45	10338.75	50	34650	28	50743	3	21747	6	20674.5	2	27566	3	13777.5	2	36740	216929.75
3	पीपल	0	0	0	0	0	0	1	172	1	343.75	0	0	4	2200	0	0	23	21125.5	0	0	23841.25
4	बेल	0	0	6	141	26	2684.5	25	4300	5	1718.75	0	0	2	1100	0	0	3	2755.5	0	0	12699.75
5	कटहल	0	0	5	117.5	12	1239	13	2236	16	5500	0	0	2	1100	0	0	2	1837	0	0	12029.5
6	अनरुध	0	0	5	117.5	9	929.25	1	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1218.75
7	गूलर	0	0	4	94	7	722.75	6	1032	6	2062.5	0	0	2	1100	0	0	7	6429.5	1	3674	15114.75
8	कदम	0	0	16	376	38	3923.5	50	8600	14	4812.5	0	0	2	1100	0	0	5	4592.5	0	0	23404.5
9	जामुन	0	0	2	115.5	3	689.25	11	7623	9	16310.3	0	0	1	3445.75	0	0	3	13777.5	1	18370	60331.25
10	खिलबिल	0	0	0	0	8	1364	4	2200	2	1559.5	0	0	1	1595	0	0	0	0	0	0	6718.5
11	लिटस	0	0	0	0	0	0	1	550	8	7348	0	0	2	3217.5	0	0	5	11481.25	0	0	22596.75
12	आंवला	0	0	1	23.5	5	516.25	1	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711.75
13	जंगल जलेबी	0	0	3	70.5	15	1548.75	9	1548	2	687.5	0	0	0	0	0	0	2	1837	0	0	5691.75
14	इमली	0	0	1	57.75	2	459.5	1	693	0	0	0	0	2	6891.5	0	0	2	9185	0	0	17286.75
15	सागौन	0	0	0	0	0	0	2	3712.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3712.5
16	बैर	0	0	21	493.5	36	3717	4	688	1	343.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5242.25
17	कदम	0	0	0	0	2	206.5	6	1032	4	1375	0	0	0	0	0	0	1	918.5	0	0	3532
18	सहचूल	0	0	1	23.5	3	309.75	0	0	1	343.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677
19	जिगना	0	0	0	0	0	0	1	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172
20	शीशम	0	0	1	75.75	0	0	0	0	1	3712.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33488.25
21	सिरिस	0	0	6	346.5	21	4824.75	41	28413	7	12685.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29700	64640
22	अशोक	0	0	0	0	5	516.25	2	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860.25
23	सैमर	0	0	0	0	3	511.5	4	2200	0	0	0	1	1595	0	0	2	4136	0	0	0	8442.5
24	पवस	0	0	0	0	0	0	2	344	0	0	0	1	550	0	0	0	0	0	0	0	894
				108	4131.5	321	53111	360	187478.5	187	258151	7	50743	55	144496	4	55132	103	298515.25	11	198704	1250462.25

(अनिल कुमार सिंह)
वन दरोगा, डाला रेंज

अवर अभियंता (विद्युगी नारायण)
अधिकारी (अधिकारी)
डाला रेंज

संपूर्ण योग -
(मकसूद असासी)
अधिसासी अभियन्ता

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

CIN-U40101UP1980SGC005065
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
ओबरा 'सी' जानपद निर्माण खण्ड-1
उ०प्र०रा०वि०उत्पादन नि०लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
पो० आ० : ओबरा 231219
जिला : सोनभद्र (उ०प्र०)



Annexure-D

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
OBRA 'C' CIVIL CONSTRUCTION DIVISION-I
U.P.R.VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P. Govt. Undertaking)
P.O.: OBRA - 231219
DISTRICT: SONEBHADRA (UP)

92

पत्रांक: 140 / ओ.सी. जानिख-1

दिनांक: 10/5/16

विषय: ओबरा कालोनी के सेक्टर 5,6 एवं 7 में स्थित पेड़ों को काटे जाने के सम्बन्ध में।

→ प्रमाणीय वनाधिकारी,
ओबरा रेंज,
ओबरा, सोनभद्र।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि 2x660 मेगावाट ओबरा 'सी' विस्तार परियोजना लगाने हेतु एम०ओ०ई०एफ० से अनुमति प्राप्त हो गई है। उक्त परियोजना ओबरा कालोनी के सेक्टर 5,6 एवं 7 स्थित भूमि पर लगाना प्रस्तावित है। जिराके लिये आवश्यक सेक्टर 5, 6 एवं 7 के क्षेत्रों को खाली कराने व ध्वस्तीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वहां पर स्थित पेड़ों को भी वन विभाग के माध्यम से काटा जाना है जिसके लिये वन विभाग द्वारा औपचारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न होने के कारण, पेड़ों को काटे जाने का कार्य नहीं हो पा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ओबरा कालोनी के सेक्टर 5, 6 एवं 7 में स्थित पेड़ों को वन विभाग के माध्यम से काटे जाने हेतु पेड़ों का छपान कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करे ताकि उक्त परियोजना के प्रस्तावित स्थल में स्थित पेड़ों की कटाई करके कार्य स्थल को रिक्त करवाया जा सके है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :- यथा उपरोक्त।

प्रभासी राजेश

हस्ताक्षर अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक:

13/05/2016
ओ.सी. जानिख-1 / तद दिनांक-

10.05.16


(मकसूद अन्सारी)
अधिशासी अभियन्ता

प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा-रेंज
आवरा वन प्रभाग, ओबरा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. अधीक्षक अभियन्ता, ओबरा 'सी' जानपद निर्माण मण्डल, ओबरा।
02. डिप्टी लागिंग मैनेजर, वन विभाग चोपन रोड, ओबरा।
03. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, ओबरा 'सी' जानपद निर्माण खण्ड-प्रथम।



(मकसूद अन्सारी)
अधिशासी अभियन्ता

P.T. 04

CIN-U4010664980SGC005065

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
ओबरा 'सी' जानपद निर्माण खण्ड-1
उ० प्र० रा० वि० उत्पादन नि० लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
पत्रालय : ओबरा 231219
जिला : सोनभद्र (उ०प्र०)



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
OBRA 'C' CIVIL CONSTRUCTION DIVISION-I
U.P.R.VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P.Govt. Undertaking)
P.O.: OBRA - 231219
DISTRICT: SONEBHADRA (UP)

पत्रांक: 240/ओ'सी'जा नि खं-1/वनविभाग

दिनांक : 20 अक्टूबर, 2016

विषय: ओबरा कालोनी के सेक्टर - 5, 6 व 7 में स्थित पेड़ों के पातन हेतु अनुमति एवं कटान के सम्बन्ध में

सन्दर्भ : प्रभारी वनाधिकारी ओबरा का पत्रांक 4055/ओबरा/37/दि० 24.05.2016

क्षेत्रीय वनाधिकारी
डाला रेंज, ओबरा वनप्रभाग
ओबरा-सोनभद्र
महोदय,

आपको अवगत कराना है कि उ० प्र० सरकार की महत्वाकांक्षी 2x660 मेगावाट ओबरा 'सी' विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा जलवायु परिवर्तन विभाग से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त हो गई है। उक्त परियोजना का निर्माण ओबरा कालोनी के सेक्टर-5, 6 एवं 7 की भूमि पर प्रस्तावित होने के परिपेक्ष्य में इन सेक्टरों में अवस्थित भवनों एवं संयंत्रों को तोड़ने का कार्य प्रगति पर है। जबकि पेड़ों के पातन का कार्य भी प्राथमिकता पर संपन्न कराया जाना आवश्यक है। निगम मुख्यालय, लखनऊ के निर्देशानुसार कार्यस्थल को रिक्त कर कार्यदायी फर्म को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जाना है।

उपरोक्त प्रयोजनार्थ इन सेक्टरों की भूमि पर अवस्थित पेड़ों के पातन की अनुमति एवं कटान हेतु वन विभाग द्वारा संबंधित पेड़ों पर छपान कराकर मूल्यांकन सहित सूची उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई गई थी। इस प्रकरण में आपसे दूरभाष पर हुई वार्ता के अनुक्रम में वन विभाग के श्री त्रिलोकी दूबे, वन दरोगा के साथ इस कार्यालय के श्री त्रियुगी नारायण, अवर अभियन्ता द्वारा संयुक्त रूप से इन सेक्टरों के पेड़ों का छपान किया गया है जिसका मूल्यांकन व गाटा सं० अंकन सहित संयुक्त हस्ताक्षरित कुल 4191 नग वृक्षों की सूची तथा इस भूमि एवं तदानुसार पेड़ों का स्वामित्व ओबरा तापीय परियोजना का होने के प्रमाण में खतौनी के प्रति सहित सजरा प्लान समेत सम्पूर्ण विवरण इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इन सेक्टरों की भूमि पर अवस्थित पेड़ों के पातन की अनुमति प्रदान कराने एवं कटान हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर संपन्न कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरोक्त

m/f
(मकसूद अन्सारी)
20.10.16
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक : 240/ओ'सी'जा.नि.खं-1/वनविभाग/तद दिनांक 20.10.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा, सोनभद्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस महत्वपूर्ण प्रकरण में प्राथमिकता पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ओबरा 'सी' जानपद निर्माण मण्डल, ओबरा, सोनभद्र ।

छायाप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा-रेंज
आबरा वन प्रभाग, ओबरा

m/f
(मकसूद अन्सारी)
20.10.16
अधिशासी अभियन्ता


365 Annexure-E

उत्तर प्रदेश सरकार
वन अनुभाग-5
संख्या-611/14-5-2012-07/93
लखनऊ, दिनांक 20 जुलाई, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-45, सन् 1976) की धारा-23 की उप धारा-(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-71/चौदह-3-377-76, दिनांक 20 जनवरी, 1982, संख्या-1057/14-प०भू०वि०-98-7-93, दिनांक 05 जून, 1998, संख्या-2759/14-प०भू०वि०-2000-7/93, दिनांक 30 दिसम्बर, 2000 और मामले से सम्बन्धित समस्त अन्य अधिसूचनाओं का अधिकरण करके राज्यपाल, लोकहित में, घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों को 31 दिसम्बर, 2020 तक, तब तक नहीं काटा जायेगा जब तक कि कोई वृक्ष सूख न गया हो या सूख रहा हो या यह व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये खतरा पैदा कर रहा हो, या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विकास कार्य के निष्पादन के लिये इसका काटा जाना आवश्यक हो और ऐसे वृक्ष को काटने के लिये सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो :-

क्र०सं०	सामान्य नाम	वानस्पतिक नाम
1	नीम	अजेडिरैक्टा इण्डिका
2	महुआ	मधुका लैटीफोलिया
3	साल	सोरिया रोबस्टा
4	पीपल	फाइकस रेलीजियोसा
5	बरगद, बड़	फाइकस बंगालेन्सिस
6	आम (देशी, कलमी और तुकमी)	मैंगीफेरा इण्डिका
7	बीजा साल	टेरोकार्पस मारसूपियम



(राजेश कुमार सिंह)
सचिव।

(17)

छायाप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
जैकस-रेंज
जाबरा वन प्रभाग, ओबरा

366 Annexure-F

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा, सोनभद्र ।
पत्रांक-1704 / ओबरा / 37 दिनांक, 25-11-2016.
सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता
ओबरा सी जानपद निर्माण खण्ड-1
उ0प्र0 राज्य वि0 उत्पादन नि0लि0
ओबरा-सोनभद्र ।

विषय:- ओबरा कालोनी के सेक्टर- 5,6 व 7 में स्थित पेड़ों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 240/ओ0सी0जा0नि0ख0-1/वन विभाग/37 दिनांक24.5.2016 एवं 253/ओ0सी0जा0नि0ख0-1/दिनांक 18.11.2016

महोदय,

सन्दर्भित पत्रों के क्रम में ओबरा कालोनी के सेक्टर 5, 6 एवं 7 में स्थित 4191 वृक्षों की पातन हेतु अनुज्ञा निम्न शर्तों पर दी जाती है:-

1. उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अर्न्तगत आप द्वारा 4191 वृक्षों के पातन के स्थान पर दुगुने वृक्ष वर्षाकाल में लगवाने हेतु धनराशि जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा-9 का उल्लंघन माना जायेगा।
2. वृक्ष कटान के समय जान माल आदि का खतरा न उत्पन्न होने पाये।
3. पातन केवल उन्हीं वृक्षों का किया जाय जो सूची में प्रस्तावित है।
4. पातन किये गये वृक्षों को अन्यत्र ले जाने हेतु प्रभागीय कार्यालय से अभिवहन पास लेना तथा उक्त पेड़ों के सापेक्ष नियमानुसार अभिवहन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

भवदीय,


(अमर बहादुर)


प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा, सोनभद्र ।

पत्रांक अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय वनाधिकारी डाला रेंज की उनके पत्र संख्या 98/चोपन/37 (वृक्षों की गणना)दिनांक22.10.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त काटे जाने वाले 4191 वृक्ष के स्थान पर दुगुने अर्थात् 8382 वृक्षों के रोपण हेतु अनुरक्षण सहित धनराशि का अनुमान पत्र तैयार कर धनराशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यावाही करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- उप प्रभागीय वनाधिकारी चोपन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

छयाप्रति प्रमाणित


क्षेत्रीय वनाधिकारी
ओबरा-रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

(अमर बहादुर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा, सोनभद्र ।

Annex 67G

U40101UP1980SGC005065
 कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
 ओबरा 'सी' जानपद निर्माण खण्ड-1
 उ०प्र०रा०वि०उत्पादन नि०लि०
 (उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
 पो० आ० : ओबरा 2312
 जिला : सोनभद्र (उ०प्र०)



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
 OBRA 'C' CIVIL CONSTRUCTION DIVISION-I
 U.P.R. VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
 (A U.P. Govt. Undertaking)
 P.O.: OBRA - 231219
 DISTRICT: SONEBHADRA (UP)

पत्रांक: /ओसी'जा.नि.खं-1/वन विभाग

दिनांक 13.10.17

विषय:- 2X660 मेगावाट ओबरा सी विस्तार परियोजना के राख बांध,स्वीच यार्ड, 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र एवं कोयला संचालन सयन्त्र के निर्माण हेतु ओबरा कालोनी के सेक्टर-2,3,4(गांधी मैदान अंशिक क्षेत्र) एवं केन्द्रीय भण्डार क्षेत्र 'ब' ताप विद्युत गृह ओबरा के क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु अनुमति एवं कटान के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 डाला रेंज,ओबरा वन प्रभाग
 ओबरा -सोनभद्र।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि 2X660 मेगावाट ओबरा सी विस्तार परियोजना का निर्माण कार्य कार्यदायी एजेन्सी मेसर्स डी०पी०एस०आई० दक्षिणी कोरिया द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है। इसी क्रम में राख बांध,स्वीच यार्ड, 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र एवं कोयला संचालन सयन्त्र के निर्माण हेतु ओबरा कालोनी के सेक्टर-2,3,4(गांधी मैदान का अंशिक क्षेत्र) एवं केन्द्रीय भण्डार क्षेत्र 'ब' ताप विद्युत गृह,ओबरा के क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों के पातन के पश्चात उपरोक्त क्षेत्र कार्यदायी एजेन्सी को उपलब्ध करावाये जाने हेतु निगम मुख्यालय लखनऊ से लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं जिसके लिए आवश्यक सेक्टर-2,3 एवं केन्द्रीय भण्डार क्षेत्र 'ब' ताप विद्युत गृह,ओबरा के क्षेत्र में स्थित आवास/भण्डार तोड़वाये जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। उपरोक्त क्षेत्रों में स्थित वृक्षों के पातन का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

उपरोक्त प्रयोजनार्थ इन सेक्टरों की भूमि पर अवस्थित पेड़ों के पातन की अनुमति एवं कटान हेतु वन विभाग द्वारा सम्बन्धित पेड़ों पर छपान कराकर मूल्यांकन सहित सूची उपलब्ध कराने की आवश्यकता बतायी गयी है इस प्रकरण में आप द्वारा नामित श्री अनिल कुमार सिंह,वन दरोगा के साथ इस कार्यालय के श्री त्रियुगी नारायण,अवर अभियन्ता द्वारा सयुक्त रूप से उपरोक्त क्षेत्र के वृक्षों का छपान किया गया है जिसका मूल्यांकन व गाटा सं० अंकन सहित हस्ताक्षरित कुल 1156 नग वृक्षों की सूची तथा इस भूमि एवं तदानुसार वृक्षों का स्वामित्व ओबरा तापीय परियोजना का होने के प्रमाण में खतौनी की प्रति सहित सजरा प्लान समेत सम्पूर्ण विवरण इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त क्षेत्रों की भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु अनुमति प्रदान कराने एवं कटान हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

छायाप्रति प्रमाणित
 केन्द्रीय वन अधिकारी
 ओबरा-रेंज
 ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

(मकसूद अन्सारी)
 अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक: 452 /ओसी'जा.नि.खं-1/तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. मुख्य अभियन्ता(निर्माण) ओबरा 'सी' तापीय परियोजना,ओबरा।
02. प्रभागीय वनाधिकारी,ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की इस महत्वपूर्ण प्रकरण में प्राथमिकता पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
03. अधीक्षण अभियन्ता, ओबरा 'सी' जानपद निर्माण मण्डल-1, ओबरा।
04. सहायक अभियन्ता ओबरा 'सी' जानपद निर्माण खण्ड-1,ओबरा।

प्रभागीय वनाधिकारी

उपस्था. आ.व.न.क.र.



(मकसूद अन्सारी)

मुख्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग
 पत्रांक 1286 /ओबरा/37-1/दिनांक 23-10-17
 प्रतिलिपि संलग्न सहित क्षेत्रीय वनाधिकारी को प्रेषित की जाएगी।
 उपरोक्त क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।
 (मकसूद अन्सारी)
 अधिशासी अभियन्ता

16/10/17

00

369

Annexure-H

Annex H

उत्तर प्रदेश शासन

वन एवं वन्यजोय अनुभाग-5

संख्या-5/2017/2242/14-5-2017-7/93

लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976) की धारा-23 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-611/14-5-2012-07/93, दिनांक 20.07.2012 का अधिक्रमण करके राज्यपाल लोकहित में, घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों को दिनांक 31, दिसम्बर, 2025 तक, तब तक नहीं काटा जायेगा जब तक कि उक्त वृक्ष सूख न गया हो, या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित विकास कार्य के निष्पादन के लिये इसका काटा जाना आवश्यक हो या आम (मैंगीफेरा इण्डिका) वृक्ष की स्थिति में, उसकी फलदायी क्षमता सारभूत रूप से क्षीण हो गयी हो, और ऐसे वृक्ष को काटने के लिये सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो :-

क्र० सं०	सामान्य नाम	वानस्पतिक नाम
1	आम (देशी/तुकमी/कलमी)	मैंगीफेरा इण्डिका
2	नीम	अजेडिरेक्टा इण्डिका
3	साल	शोरिया रोबस्टा
4	महुआ	मधुका लैटीफोलिया

संजय सिंह
सचिव।

संख्या-2242(1)/14-5-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना की अग्रंजी प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वे उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट दिनांक 25.10.2017 के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में प्रकाशित करने व उसकी 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम, लखनऊ।
- (5) समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ०प्र०।
- (6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

अग्रिमप्रति प्रमाणित
केन्द्रीय वन अधिकारी
ओबरा-रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

370 Annexure-I

Annex I

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।
पत्रांक 3029 / ओबरा / 37 दिनांक 5-3-2018
सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
ओबरा सी जानपद निर्माण खण्ड-I,
उ०प्र०रा०वि० उत्पादन नि०लि०,
ओबरा सोनभद्र।


विषय:- 2X660 मेगावाट ओबरा सी विस्तार परियोजना के राख बाँध स्वीच यार्ड राख संचालन क्षेत्र एवं 33 के० वी० सब स्टेशन के निर्माण हेतु ओबरा कालोनी के सेक्टर- 2, 3, 4 (गांधी मैदान) एवं केन्द्रीय भण्डार क्षेत्र ब ताप विद्युत गृह ओबरा के क्षेत्र में स्थित पेड़ों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।


संदर्भ:- आपका पत्रांक 15/ओ.सी.जा.नि.ख.-I /वन विभाग/दिनांक 30.01.2018
महोदय,

सन्दर्भित पत्र के क्रम में ओबरा कालोनी के सेक्टर 2, 3, 4 (गांधी मैदान) एवं केन्द्रीय भण्डार क्षेत्र ब ताप विद्युत गृह ओबरा के क्षेत्र में अवस्थित 1156 वृक्षों के पातन की अनुमति निम्न शर्तों पर दी जाती है।

1. वृक्ष काटने के समय जान माल आदि का खतरा न उत्पन्न होने पाये।
2. पातन केवल उन्हीं वृक्षों का किया जाय जो सूची में प्रस्तावित है।
3. पातन किए गये वृक्षों को अन्यत्र ले जाने हेतु प्रभागीय कार्यालय से अभिवहन पास लेना तथा उक्त पेड़ों के सापेक्ष नियमानुसार अभिवहन शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

अनुमति प्रमाणित



क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा-रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा


भवदीय
(अमर बहादुर)
वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

पत्रांक:- 3029
अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय वनाधिकारी डाला रेंज को सूचनार्थ को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उक्त कटान एवं निकासी पर निगरानी रखना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उ०प्र० वन निगम दुद्धी सोनभद्र को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


(अमर बहादुर)
वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

or

Annexure-J

राज्या-1651/24-1-12-1634/2012

प्रेषक:

अनिल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 31 जुलाई, 2012

विषय: ओबरा 'सी' विस्तार ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत 660 मेगावाट की दो इकाईयों को उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के पत्र सं०- 1146/पीएसएमडी/उनि. दिनांक 06 जून, 2012 के संदर्भ में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं कि:-

FM

115-VIP/MD/ual
2-8-12

उ०प्र० (पीपील)

श्री. त्रिभुवन

1-8-12

- (1) मा० मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2009 में 2X500 मे०वा० ओबरा 'सी' ताप विद्युत परियोजना की स्थापना से सम्बंधित निर्णय को निरस्त करते हुए 2X660 मे०वा० ओबरा 'सी' विस्तार परियोजना की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा की जाये।
- (2) परियोजना की स्थापना हेतु ब्याज दर, टरबाइन, जनरेटर, सी० एण्ड आई० सिविल एवं अन्य कार्यों के सम्बन्ध में सामग्री की आपूर्ति एवं कार्य के सम्बन्ध में सलाहकार की सलाह के अनुसार विभिन्न पैकेज बनाये जाने एवं इन पैकेजों हेतु काण्ट्रैक्ट्स का घयन खुली निविदा के आधार पर किया जाय।
- (3) परियोजना की स्थापना के लिये अनुमानित लागत रु० 8777.71 करोड़ का वित्त पोषण 70 प्रतिशत वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से ऋण प्राप्त करके तथा शेष 30 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार से प्राप्त अंशपूर्जी से किया जाये।
- (4) परियोजना लागत में 70 प्रतिशत ऋणांश के सापेक्ष शासकीय गारण्टी तभी प्रदान की जायेगी जब परियोजना की परिसम्पत्तियों को बंधक रखने पर भी आवश्यक प्रतिभूति पूरी न हो तथा परियोजना के अनुमानित कोष प्लान से ऋण की ब्याज सहित अदायगी समय से हो।

2-

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

छायाप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा-रैंज
अबरा वन प्रभाग, ओबरा

भवदीय
(अनिल कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

E:\O.O.1 doc

SECY

03/08/12